पत्रांक : 18/विविध–17/2024....1051......../

झारखण्ड सरकार

स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

(प्राथमिक शिक्षा निदेशालय)

प्रेषक,

निदेशक,
प्राथमिक शिक्षा निदेशालय।

सेवा में,

सभी जिला शिक्षा अधीक्षक,
झारखण्ड।

रांची, दिनांक 22/08/2024

विषय : कक्षा 1–8 के विद्यालयों के शिक्षकों के पारस्परिक स्थानान्तरण के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि प्राथमिक शिक्षा निदेशालय को प्रारंभिक शिक्षकों के द्वारा पारस्परिक स्थानांतरण हेतु प्रतिदिन अनवरत रूप से आवेदन प्राप्त हो रहे हैं। विभागीय समीक्षा के क्रम में पाया गया कि ऑफलाईन प्राप्त आवेदनों के आधार पर सूचना संकलित करने एवं आवेदनों के सत्यापन में निदेशालय/विभाग के समय एवं मानव बल की अनावश्यक क्षति होती है। इससे निदेशालय स्तर पर किये जानेवाले अन्य कार्य भी प्रभावित होते हैं।

उक्त कठिनाईयों का निराकरण एवं पारस्परिक स्थानांतरण सुगम/सरल तरीके से करने हेतु Teacher Transfer Portal के माध्यम से ऑनलाईन आवेदन प्राप्त करने का निर्णय लिया गया है। जैप–आई.टी. द्वारा पारस्परिक स्थानांतरण हेतु ऑनलाईन Module का निर्माण किया जा रहा है। माह सितम्बर 2024 तक पोर्टल तैयार होने के पश्चात् ऑनलाईन आवेदन करने हेतु समय सारणी की अनुसूची जारी की जायेगी।

अतएव निदेश दिया जाता है कि राज्य के कक्षा 1 से कक्षा 8 के सरकारी विद्यालयों के शिक्षकों को स्थानान्तरण नीति की स्वीकृति से संबंधित संकल्प संख्या–2093 दिनांक 06.08.2019 एवं विभागीय अधिसूचना संख्या–1556 दिनांक 08.06.2022 (यथा संशोधित) के आलोक में पारस्परिक स्थानांतरण हेतु पोर्टल तैयार होने के पश्चात् इच्छुक शिक्षकों को ऑनलाईन आवेदन करने की सूचना को प्रचारित/प्रसारित किया जाय।

प्रस्ताव पर विभागीय प्रभारी सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन,

S Singh 22/8/24

निदेशक
प्राथमिक शिक्षा।

Khurshid Alam C